FORM NO. III

फर्द अहकाम

Crim I

नियम 26

नाम अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

जगन्नाथ बनाम प्रभूलाल

प्रकरण संख्या 8 सन् 2025

किस्म मुकदमा 111-128

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24 / 1 / 2025	प्रार्थना–पत्र रीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 11 / 2 /2025 को वास्ते तलबी / जवाब पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण को 3-बार आवाज लगाई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश जारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 08/25 तारीख दायर 24/01/25

जगन्नाथ पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थीया

बनाम्

1. प्रभुलाल पिता देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. जीतमल पिता रूपचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. दिनेश पिता कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 11/02/25

प्रार्थना पत्र जगन्नाथ धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री **ओमप्रकाश शर्मा** एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा मे खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 340/2 रकबा 0.3723 हे0, आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.0728 हे0, आराजी संख्या 344/2 रकबा 1.0279 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.4730 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा मे खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 340/2 रकबा 0.3723 हे0, आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.0728 हे0, आराजी संख्या 344/2 रकबा 1.**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 8/25 तारीख दायर 24/01/25
प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या 8/25 पत्थरगढ़ी बाबत्।

जगन्नाथ पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थी

बनाम्

1. प्रभुलाल पिता देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. जीतमल पिता रूपचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. दिनेश पिता कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है **मौजा ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का** गणेशपुरा **मे खाता संख्या 5**[illegible] **पर अंकित आराजी संख्या 340/2 रकबा 0.3723 हे0, आराजी संख्या 343/**[illegible] **रकबा 0.0728 हे0, आराजी संख्या 344/2 रकबा 1.0279 हे0 कुल किता** [illegible] **रकबा 1.4730 हे0 भूमि** की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरि[illegible] पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर[illegible] हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खे[illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये व[illegible] पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों [illegible] पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत क[illegible]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

0279 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.4730 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा